बी0पी0 सिंह (भा0व0से0), निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 05.01.2021 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलधनाई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या –

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 05.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी, धनपुर रेंज, गौचर एवं श्री अमित पटेल, सहायक अभियन्ता व श्री अनुज शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 गौचर के प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे। प्रस्तावित मोटर मार्ग मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 1471/2015 से सम्बन्धित है। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गयाः–

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षणः–

इस मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण हेतु मौके पर उपस्थित लो0नि0वि0 के प्रतिनिधि श्री अमित पटेल, सहायक अभियन्ता एवं पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी, गौचर को निर्देश दिये गये कि बांज वृक्षों की क्षति न्यून करने हेतु पूर्व निर्मित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग – नौटी – चौरासैंण मोटर मार्ग से धनाई के लिए मोटर मार्ग का वैकल्पिक संरेखण किया जाय जिससे मार्ग की लम्बाई भी कम होगी तथा वृक्षों की क्षति भी कम होगी। इसी कम में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के पत्रांक 3547/12–1, दिनांक 27.02.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 346/1सी0, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत किया गया कि दिनांक 06.02.2021 को लो0नि0वि0 गौचर, वन विभाग के प्रतिनिधि एवं ग्राम धनाई के ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों द्वारा पुनः मार्ग के स्थलीय निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम धनाई के ग्रामीणों द्वारा मोटर मार्ग के वैकल्पिक संरेखण का घोर विरोध किया गया तथा अवगत किया गया कि जहां से वैकल्पिक संरेखण किया जा रहा है वह ग्राम सभा बैनोली के अन्तर्गत है तथा उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। ग्राम धनाई के ग्रामीणों द्वारा पूर्व में किये गये प्रस्तावित संरेखण में ही मार्ग निर्माण किये जाने का अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 गौचर, उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का उक्त सन्दर्भित पत्र एवं दिनांक 06.02.2021 को किये गये स्थलीय निरीक्षण की प्रति संलग्न है। अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षणः–

1. प्रस्तावित संरेखण में विभिन्न व्यास वर्ग में बांज के 101 वृक्ष एवं 0–10 व्यास वर्ग में 16 बांज की पौध प्रभावित हो रही है तथा अन्य प्रजातियों के 100 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

P.T.O.

2. इस संरेखण से ग्राम देवल, धनाई के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा होगी।

3. यह संरेखण भू–वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।

अतः इस मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

(बी0पी0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 1945 / 12-1 दिनांकित। 04-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर।

(बी0पी0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

P.T.O.

<u>भाग–3</u>

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवल धनाई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

28	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 05.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री पंकज ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी, धनपुर रेंज, गौचर एवं श्री अमित पटेल, सहायक अभियन्ता व श्री अनुज शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 गौचर मौके पर उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से इस मार्ग का मौके पर अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि 04-03-2021
स्थान– गोपेश्वर।

(बी0पी0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Received
02-03-21

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No–01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 3547/ 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 27-2- 2021

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

विषयः– कर्णप्रयाग नोटी –पैठाणी मोटर मार्ग से देवलधानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1582 / 12–1 दिनांक 12–02–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि मोटर मार्ग की लम्बाई एवं वृक्षों की संख्या को न्यून करने हेतु दिनांक 06–02–2021 को वन विभाग , लो0नि0वि0 के प्रतिनिधि तथा जन प्रतिनिधयों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण के समय ग्राम धानई के ग्रामीणों द्वारा धोर विरोध किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण रोक दिया गया। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि जहाँ से संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है वह ग्राम सभा बैनोली के अन्तर्गत है, जिनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा, जिस कारण मोटर मार्ग अधर में लटक जायेगा, ग्रामीणों द्वारा पूर्व में किये गये संरेरखण में ही निर्माण कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 346 / 1 सी वन दिनांक 22–02–2021 एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यावाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनाँकित

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

D/mam
आ॰ का॰ करें
वन संरक्षक

संयुक्त निरीक्षण आख्या

x—— x —— x —— x

निदेशक / वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या- 1582/12-1 दि० 12-1-2021 के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 147/2015 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से घार्नई तक मोटर मार्ग का आज दि० 06-2-2021 को वन विभाग तथा लो०नि०वि० गौचर द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यस्थल पर उपस्थित हुआ गया संयुक्त निरीक्षण को प्रारम्भ करते ही ग्राम घार्नई के ग्रामीणों द्वारा घोर विवाद किया गया, तथा संयुक्त निरीक्षण को रोक दिया गया, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जहाँ से संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। वह ग्राम सभा बैनोली है। जिनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नही दिया जायेगा। जिस कारण यह मोटर मार्ग अधर में लटक जायेगा। तथा ग्रामीणों द्वारा पूर्व में किये गये ही सर्वे पर मोटर मार्ग बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

संयुक्त निरीक्षण में लो० नि० वि० के सहायक अभियन्ता इं० अमित कुमार पटेल, अपर सहायक अभियन्ता इं० प्रतीक अग्रवाल व अन्य स्टाफ तथा वन विभाग की तरफ से वनक्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर श्री पंकज ध्यानी, वन दरोगा श्री विजेन्द्र सिंह कठैत, वन बीट अधिकारी श्री गोपाल सिंह रमोला, उपस्थित रहे।

(श्री पंकज ध्यानी)
वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर रेंज गौचर

प्रधान ग्राम पंचायत घार्नई
ह० आशिता
दि० 6-2-2021
विकास खण्ड कर्णप्रयाग, चमोली

06/02/21
(इं० अमित कुमार पटेल)
सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि० गौचर

(श्री विजेन्द्र सिंह कठैत)
वन दरोगा, धनपुर रेंज गौचर

06/02/21

प्रतीक अग्रवाल
अपर सहायक अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि० गौचर

(श्री गोपाल सिंह रमोला)
वन बीट अधिकारी, पोखरी